

2017 का विधेयक संख्यांक 155

[दि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सर्टेशन टू जम्मू एंड कश्मीर) बिल, 2017 का
हिन्दी अनुवाद]

एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार
का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर
राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है ।
- 5 (2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का विस्तार और संशोधन।

2. (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और जारी आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उसमें प्रवृत्त होंगे।

2017 का 13

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 5 (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 निरसित किया जाता है।

2017 का
अध्यादेश सं 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। |0

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराजिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

3. जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा ने 5 जुलाई, 2017 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 को अंगीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था । परिणामस्वरूप, 6 जुलाई, 2017 को, राष्ट्रपति द्वारा संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित करते हुए, संविधान (जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017 जारी किया था ।

4. जम्मू-कश्मीर राज्य ने जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 पारित कर दिया है, जो 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हो गया है और किसी ऐसी असामान्य स्थिति से, जो माल और सेवा कर की यथार्थ भावना के विरुद्ध हो सकती है, बचने के लिए, राज्य में अंतरराजिक प्रदायों पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत कर अधिरोपित किया जाना चाहिए ।

5. उपरोक्त को देखते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों का, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) का "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप करने के लिए संशोधन करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार करना आवश्यक हो गया है ।

6. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अति आवश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, अतः राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को, एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4) प्रख्यापित किया गया ।

7. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली :

24 जुलाई, 2017.

अरुण जेटली

वित्तीय जापन

प्रस्तावित एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।